

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पत्र
व्यवहार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक
अवश्य लिखा जावे जिससे सुविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801
(कार्यालय)
2442462 (निवास)
फैक्स : (0091-0751-2341768
E-mail : jureg_gwl@rediffmail.com
Website : <http://www.jiwalli.edu/>

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4302

दिनांक : 24/12/2011

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 01 नवम्बर, 2011 के पद क्रमांक (02) के निर्णयानुसार बिहारी महाविद्यालय, अटेर रोड, भिण्ड को सत्र 2010-11 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, आ.पा.), बी.कॉम., बी.एस.-सी. (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणिकी, माझकोबायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, कम्यूटर साइंस, आ.पा.), बी.पी.ए., बी.ए.एस.-सी., एम.एस.-सी. (वनस्पति एवं कम्यूटर साइंस), एम.ए. (समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान), एम.ए.एस.-सी. (फूड एण्ड व्यूटीशिन) एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

शर्तें/प्रतिबंध :-

1. पुस्तकालय में विषय अनुसार प्रत्येक विषय की 25 अन्य शारीरक (पुस्तकें) क्रय करें।
2. बी.ए.एस.-सी., एम.ए.ए.एस.-सी. की प्रयोगशाला को और सशक्त करें, एवं पाठ्यक्रम अनुसार उपकरण क्रय करें।
3. बी.एस.-सी., एम.एस.-सी. के सभी विषयों में पाठ्यक्रम अनुसार प्रयोगशाला में उपकरण क्रय कर Statute 27,28 अनुसार सुसज्जित करें।
4. महाविद्यालय में प्रत्येक विषय में, विश्वविद्यालय के पूर्व पत्र एफ/सम्बद्धता/2009/42 दिनांक 06.03.2009 के अनुसार सीटें विधारित की जाय।
5. महाविद्यालय में 28(17) के अन्तर्गत, समस्त विषयों में शीघ्र नियुक्तियाँ की जाय।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, बिहारी महाविद्यालय, अटेर रोड, भिण्ड।
2. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसचिव (सम्बद्धता)

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

उमस्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी
प्रशिक्षणालय के नाम से ही किया जावे ज
को केवरी अन्व विद्यालय के नाम से।
लक्ष्यपूर्ण पत्र यारे पृष्ठ में पत्र
व्यवहार कुलसचिव के नाम से दिएका
कुलसचिव के नाम से लाभेवा हो।



वापर : वृद्धीवासेति
दूरभाष : (0751) 2341896
फैक्टरी : 2442896
मोबाइल : 9425111718

प्रेषक :

कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय

ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/५५०३

दिनांक: १७/०१/१२

// सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध बिहारी महाविद्यालय, अंडेर रोड, भिण्ड (07534-233784) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, आ.पा.), बी.कॉम., बी.एस.-सी. (भौतिकी, रसायन, गणित, वनस्पति, प्राणिकी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकैमिस्ट्री, कम्प्यूटर साइंस, आ.पा.), बी.पी.एड., बी.एच.एस.-सी., एम.एस.-सी. (वनस्पति एवं कम्प्यूटर साइंस), एम.ए. (समाजशास्त्र, सैन्य विज्ञान), एम.एच.एस.-सी. (पूँड एण्ड व्यूट्रीशिन) एवं बी.सी.ए. पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिवेदन 27(10) के अन्तर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है:-

(1) प्रो. एस.के. शुक्ला, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(संयोजक)

(0751-2442633)

(2) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य वाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।

(3) प्रो. ए.के. हल्दे, आचार्य, रसायन विज्ञान अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(4) डॉ. एस.के. गुप्ता, उपाचार्य, कम्प्यूटर साइंस अध्ययनशाला, जी.वि.वि. ग्वालियर।

(5) डॉ. मंजू दुबे, आचार्य, शा. के.आर.जी. कॉलेज, ग्वालियर।

विशेषज्ञ समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवेदन 27/28 के प्रारंभानी के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष लेखन कर शुरू, घरोहर राशि, गोष्ठी शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, पार्श्वकृत संस्था से प्राप्त अनुभिति/गुनापति प्रमाण-पत्र, भवन, कीका परिसर एवं पाठ्यक्रम आईजेब्स तथा पिछ्ले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति लक्ष प्रमाण पत्र के तथा पाचार्य-शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं येतन आदि के बारे में राष्ट्र विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से समर्क स्थापित कर विशेषज्ञ करायें। समिति संयोजक से विवेदन है कि वे उक्त नियार्थित समय में विशेषज्ञ करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जगा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जगा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद विशेषज्ञ में की गई देरी के लिए। महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में विशेषज्ञ बही कराता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः विशेषज्ञ समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जगा करने होंगे। तत्पश्चात् ही विशेषज्ञ समिति का पुरुर्गठन किया जायेगा। परिवेदन 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

विशेषज्ञ समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यरत अधीक्षक, कार्यालय सहायक प्राकावली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वस्तुरिपति से विशेषज्ञ समिति को अवगत करावेंगे। विशेषज्ञ समिति के सदस्यों को दी.ए. / डी.पी. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देय होगा।

प्रतिलिपि :-

1. समस्त सदस्यों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर विशेषज्ञ दिनांक विधार्थीत कर महाविद्यालय का विशेषज्ञ करावें। उक्त विशेषज्ञ 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुङ्गा भवन, भोपाल
4. कुलपति के साथेव ' कुलसचिव के विज्ञी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, जगहेसर
5. कुलपति के साथेव ' कुलसचिव के विज्ञी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, जगहेसर

सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)